

महत्वपूर्ण एवं खास

कोरबा के सी मार्ट में शार्ट-सर्किट से लगी आग, सामानों को पहुंची आंशिक क्षति

कोरबा (आरएनएस)। टीपी नगर चैक में संचालित सी-मार्ट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुकान में लगभग साढ़े सात बजे संचालक आग लग गई। शार्ट सर्किट की वजह से लगी आग की लपटों को देख दुकान के कर्मचारी जान बचाकर बाहर निकले। नियंत्रण के लिए दमकल को बुलाया गया। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से दुकान के सामानों को आंशिक क्षति पहुंची है। बिहान योजना के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह के तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए शहर के टीपी नगर चैक में सी-मार्ट का संचालन हो रहा है। शाम सात बजे खरीदारों की चहल-पहल जारी थी। इस दौरान दुकान में अचानक चारों तरफ धुंआ छाने लगा। लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि दुकान में आगजनी की घटना हुई है। लोग तेजी से दुकान से बाहर निकलने लगे। धुंआ दुकान के मुख्य इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड बोर्ड की ओर से आ रहा था। शार्ट सर्किट की वजह से लगी आग को नियंत्रण के लिए तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी थी। टीपी नगर चैक के सामने हुई घटना की वजह से पुलिस कर्मी भी सक्रिय हो गए। थोड़ी ही देर में दमकल पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना दुकान के सामानों को आंशिक क्षति पहुंची है।

युवक से 20 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दी वारदात को अंजाम

रायपुर (आरएनएस)। कमल विहार मेनगेट के पास बाइक सवार अज्ञात दो युवकों ने एक युवक से रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। प्रार्थी की शिकायत पर मुजगहन पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मनोज कुमार रायपुर 35 वर्ष साख्त नगर बोरियाखुर्द का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी अपनी मोटरसायकिल में 20 लाख रुपए बैग में भरकर जा रहा था। तभी कमल विहार मेन गेट के पास बाइक सवार अज्ञात दो युवकों ने पीछे से आकर झपट्टा मारकर ले भागा। बैग में रुपयों के साथ मोबाइल भी रखा हुआ था। प्रार्थी की शिकायत पर मुजगहन पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

ऑनलाइन काम करने का झांसा देकर लाखों की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम निमोरा में बंधन बैंक के खाता धारक ने घर बैठे ऑनलाइन काम करने का झांसा देकर रुपया प्राप्त कर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी की शिकायत पर राखी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी पारक कुमार धीवर 27 वर्ष ग्राम निमोरा का रहने वाला था। बताया जाता है कि बंधन बैंक के खाता धारक आरोपी ने प्रार्थी को घर बैठे ऑनलाइन काम करने का झांसा देकर रुपया प्राप्त किया। प्रार्थी की शिकायत पर राखी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

हिरोइन चिट्ठा के साथ तीन गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। खमतराई पुलिस ने लक्ष्मी धर्मकांटा के पास भनूपुरी में हिरोइन चिट्ठा के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लक्ष्मी धर्मकांटा के पास भनूपुरी के पास आरोपी जगजीत सिंह 32 वर्ष, संदीप सिंह व सुखराज सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 26 ग्राम हिरोइन चिट्ठा जन्त किया है। जिसकी कीमत 1 लाख 4 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

जशपुर जम्बूरी में पर्यटकों को मिल रहा रोमांचक खेलों के साथ देशी कहानियों का मजा

कैम्पिंग, साहसिक खेलों और दोस्ती का मजेदार सफर
रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेपलिंग, बोटिंग, ट्रेकिंग से लेकर जनजातीय परिचय का पर्यटकों ने लिया आनंद
जशपुर। आरएनएस

जशपुर पर्यटन को नया आयाम देने तथा जशपुर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से देश और दुनिया को परिचित कराने के लिए जम्बूरी में विभिन्न साहसिक गतिविधियों के साथ जनजातीय सांस्कृतिक परिचय, जनजातीय कहानी वाचन, लोक गीत, जनजातीय वेशभूषा परिचय, पारम्परिक व्यंजनों से परिचय आदि का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत शुक्रवार को देशदेखा पहाड़ी में साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिसमें पर्यटकों को पहाड़ की खिड़ी ढलानों पर रिसायों के सहारे रॉक क्लाइंबिंग एवं रेपलिंग का आनंद लिया। फिर देशदेखा

डीएमएफ घोटाला कांड : आईएस रानू साहू को ईडी ने फिर किया गिरफ्तार

कोरबा। आरएनएस

जिला कलेक्टर के पद पर रही निर्लंबित रानू साहू अब छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला कांड के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएमएफ घोटाला कांड के आरोप में 9 अक्टूबर को जेल में बंद रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय रानू साहू से हर दिन 7 घंटे तक पूछताछ कर सकेगी। न्यायालय ने इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय को 5 दिन का समय दिया है। सुनवाई के दौरान रानू साहू के कोर्ट में आंसू छलक पड़े। इस दौरान आंसू पोछते हुए उन्होंने कहा की मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है पर मैं मजबूती से खड़ी हूँ मुझ पर सारे केस एक साथ लगा दीजिए।

जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने रानू साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए 9 अक्टूबर को रायपुर की पीएमएलए स्पेशल न्यायालय

में पेश किया। इस दौरान रानू साहू की आंखों से आंसू बहने लगे। निर्लंबित आईएस अधिकारी रानू साहू ने कहा की कोयला मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी है। परंतु उसके बाद भी एक के बाद एक केस मुझ पर लगाए जा रहे हैं। एक साथ सारा केस लगा दीजिए। रानू साहू ने आगे कहा की जेल में रहते 16 महीने हो चुके हैं। एक-दो साल और रह सकती हूँ। रानू साहू ने आरोप लगाते हुए कहा की उनका स्वास्थ्य जांच नहीं की जाती है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं दी जा रही है। उन्होंने न्यायालय से कहा की मुझे सोनोग्राफी और अन्य जांच करवाना है, लेकिन कोई महीने से यह नहीं हो पा रहा है। रानू साहू के वकील फैसल रिजवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस की परेची की। उन्होंने न्यायालय को बताया की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से डीएमएफ घोटाला कांड मामले में ईसीआईआर दर्ज कर ली गई



थी, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं की गई। रानू साहू को कोयला घोटाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है और लेकिन एसीबी मामले में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। पीएमएलए स्पेशल न्यायालय ने निर्लंबित आईएस रानू साहू से 7 घंटे पूछताछ की अनुमति दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी हर दिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ कर सकेगी। यह अनुमति 22 अक्टूबर तक

के लिए दी गई है। पीएमएलए स्पेशल न्यायालय ने यह भी कहा कि रानू साहू को उनके परिवार वालों से एक दिन छोड़कर मिलने की अनुमति होगी। रानू साहू को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला घोटाला मामले में 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था कोयला घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास और दफ्तर में छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने रानू साहू के घर छापा मारा था। डीएमएफ घोटाले में ही मंगलवार को ईडी ने आदिवासी विभाग की उपायुक्त माया वारियर को गिरफ्तार किया था। कोरबा में माया आदिवासी विकास विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर रह चुकी हैं। ईडी ने उन्हें न्यायालय में पेश कर 23 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया है। रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं। इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ में

कलेक्टर रहीं। इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं। जानकारी के अनुसार रानू साहू से करीबी संबंध होने के कारण ईडी ने माया वारियर के दफ्तर और घर में छापा मारा था। डीएमएफ मद की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है। इसका प्रमाण मिलने के बाद ईडी ने माया वारियर को गिरफ्तार किया था। प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्लू ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है। इस केस में यह तथ्य निकल कर सामने आया है कि जिला खनन निधि कोरबा के मद से अलग-अलग निविदा आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाने का भी आरोप है। जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि निविदा राशि का 40% सरकारी अधिकारियों

को कमीशन के रूप में दिया गया है। निजी कंपनियों के निविदा पर 15% से 20% अलग-अलग कमीशन सरकारी अधिकारियों ने लिया है। बताया जा रहा है की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया था कि आईएस अधिकारी रानू साहू और घोटाले का आरोप है। इसका प्रमाण मिलने के बाद ईडी ने माया वारियर को गिरफ्तार किया था। प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्लू ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है। इस केस में यह तथ्य निकल कर सामने आया है कि जिला खनन निधि कोरबा के मद से अलग-अलग निविदा आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाने का भी आरोप है। जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि निविदा राशि का 40% सरकारी अधिकारियों

साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा: ग्राम घघरा में जिला पुलिस और हेल्पिंग हैंड्स क्लब ने किया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

शिविर में इलाज के साथ दी गई जागरूकता की दवाएं
रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में साइबर जन जागरूकता पखवाड़े के तहत जिला पुलिस और हेल्पिंग हैंड्स क्लब द्वारा ग्राम घघरा में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉ. दिलेश्वर पटेल और उनकी टीम ने रक्तचाप (बीपी) और शुगर की जांच की और परामर्श के अनुसार निशुल्क दवाइयों का वितरण किया। दंत चिकित्सक डॉ. विकास अग्रवाल और डॉ. हितेश गवेल ने भी ग्रामीणों और बच्चों के दांतों तथा मसूड़ों की जांच की और उन्हें निशुल्क

दवाइयों, दंत मंजन और मलहम प्रदान किया गया। स्वास्थ्य शिविर में डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने ग्राम घघरा, मकरी, हलाहली और आसपास के गांवों से आए ग्रामीणों को साइबर सेल द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने इन महत्वपूर्ण जानकारियों और बचाव के उपायों पर प्रकाश डाला: -संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें: किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि ये आपकी जानकारी चुराने के लिए हो सकते हैं। -व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें: सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि बैंक विवरण, पासवर्ड आदि साझा करने से बचें। -दोस्तों से आए संदेशों की जांच करें:

अगर आपको किसी मित्र से अनजान संदेश मिलता है, तो उसे तुरंत खोलने से पहले जांचें कि क्या वह सच में आपके मित्र का है। -एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें: अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। -सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करें: अपने ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत और अनोखे पासवर्ड का उपयोग करें। उपस्थित ग्रामीणों को हेल्पिंग हैंड्स के स्वास्थ्य संयोजक डॉ. विकास अग्रवाल ने भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर, डीएसपी अभिनव ने सभी उपस्थित लोगों को साइबर जागरूकता की शपथ दिलाई।

इस स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का लाभ 400 से अधिक लोगों ने उठाया। स्वास्थ्य शिविर के सफल आयोजन में खरसिया के ग्राम घघरा में आयोजित साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा में डीएसपी अभिनव उपाध्याय सहित हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के संरक्षक मनोज गोयल, प्रदेश अध्यक्ष अंकित अग्रवाल, विन्नी सलुजा, हिमांशु अग्रवाल, रजत शर्मा, राहुल डनभेमा, साहिल शर्मा एवं हेल्पिंग हैंड्स की पूरी टीम उपस्थित रही। वहीं स्वास्थ्य शिविर में सभी प्रमुख डॉक्टरों ने ग्रामीण अंचल का स्वास्थ्य जांच किया जिसमें हेल्पिंग हैंड्स के स्वास्थ्य संयोजक डॉक्टर दिलेश्वर पटेल, डॉक्टर विकास अग्रवाल साथ ही दंत चिकित्सक डॉक्टर हितेश गवेल एवं उनकी टीम रहे।

कार्य में लापरवाही बरतने के फल स्वरूप सचिव निर्लंबित एवं सरपंच के विरुद्ध धारा 40 संस्थित

सूरजपुर। आरएनएस

जिला पंचायत सीईओ कमलेश नंदिनी साहू द्वारा जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत घुमाडांड के सचिव को कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप निर्लंबित किया गया है एवं सरपंच के विरुद्ध धारा 40 के तहत कार्रवाई का जवाब देना है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत घुमाडांड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कराया जा रहा आवास की समीक्षा पर पाया गया कि योजना अंतर्गत आवास स्वीकृति के लिए नियमित शिक्षिका के पति के नाम पर ग्रामसभा से अनुमोदन करते हुए आवास की

पात्रता सूची में एक शिक्षिका के पति हैं उनको पात्रता की सूची में रखा गया जो घोर लापरवाही का चोकर है। उक्त प्रकरण की समीक्षा पर लापरवाही बरतने वाले सचिव अनिल कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निर्लंबित करते हुए जनपद पंचायत प्रतापपुर संलन किया गया है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत सरपंच पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतापपुर को पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई हेतु प्रेषित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु, इसके साथ ही सभी पंचायत सचिवों को इस प्रकार की लापरवाही नहीं किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।

पशुपालकों को चलित पशु चिकित्सा इकाई की सुविधा का मिल रहा लाभ

सुकमा (आरएनएस)। ग्रामीण अंचल एवं शहरी इलाकों के पशुपालकों को घर पहुंच पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने जिले के तीनों विकासखंडों में प्रदायित मोबाइल वेटनरी इकाई के द्वारा कलेक्टर देवेश कुमार धुव के निर्देशन में सुदूर एवं अंदरूनी ग्रामों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को त्वरित पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉ. सुमेर सिंह जगत ने बताया कि इस हेतु टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके अपना पता और लोकेशन बताकर बेहतर पशु चिकित्सकीय के साथ-साथ निःशुल्क नाटो, पाडो एवं बकरों का बधियाकरण, टीकाकरण एवं नरल सुधार हेतु उन्नत नस्लों के सिमें से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाओं का भी पशुपालक लाभ ले सकते हैं।

उपसंचालक डॉ. जगत के द्वारा बताया गया कि जिले में पशुओं को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में यह सह सेवा बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इस वाहन के माध्यम से बीमार पशुओं का घर-घर जा कर उचित इलाज किया जा रहा है। इसी कड़ी में छिंरगढ़ के पशु चिकित्सालय से डॉ. भूपेन्द्र बघेल के नेतृत्व में चलित पशु चिकित्सा इकाई की संयुक्त टीम के द्वारा ग्राम अधिकारियों, कोमटीगुडा, तातीपारा एवं पुजारीपाल ग्रामों में ग्रामीण एवं पशुपालकों की उपस्थिति में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर गौवंशीय- भैंसवंशीय, भेड़, बकरे-बकरियों, सुकरों आदि पशुओं का उपचार, बधियाकरण, टीकाकरण कर औषधियों का वितरण तथा ग्रामीणों को विभागीय व्यक्तिमूलक तथा केसीसी पशुपालन योजना के बारे जानकारी दिया गया।

टहलने निकले युवक पर लोमड़ी ने किया हमला

कोरबा। आरएनएस

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मुंगेली जिले के बाद अब कोरबा जिले में भी लोमड़ी का आतंक देखने को मिला है। दर्री के राजीव नगर में घटना सामने आई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहां एक युवक पर लोमड़ी ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां घायल युवक का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजजारी है।

जानकारी के मुताबिक दर्री निवासी मनोज मतवारे उम्र (35 वर्ष) मजदूरी का काम करता है। उसकी पत्नी और बच्चे साथ रहते हैं। खाना



खाकर वो बस्ती से लगे नर्सरी में टहलने गया हुआ था। इस दौरान अचानक एक लोमड़ी ने पीछे से पहले हाथ में हमला किया। उसे लगा कि कुत्ते ने हमला किया है। इसके बाद फिर से पलटकर उसने चर्रे पर हमला कर दिया। इस हमले में लोमड़ी ने नाक को नोच लिया। जिससे युवक गंभीर

रूप से घायल हो गया, और चीख-पुकार मचाने लगा। घटनास्थल पर मौजूद आसपास कुछ युवक दौड़कर आए और किसी तरह लोमड़ी को मार कर भागाया, तब जाकर उसकी जान बच पाई। घटना के बाद देखते ही देखते बस्ती वालों की भीड़ जमा हो गई, घायल को तत्काल जिला

मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां युवक को नाक पर 13 टांके लगे हैं उसका इलाज जारी है। इससे पहले बिलासपुर और मुंगेली में लोमड़ी ने 16 लोगों को घायल कर दिया था। कोरबा में भी इस तरह की घटना से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि दर्री क्षेत्र में लोमड़ी पिछले कई दिनों से विचरण कर रहा है, लेकिन हमला पहली बार किया है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खासकर छोटे-छोटे बच्चों की चिंता ज्यादा है, जो घर के बाहर खेलते-कूदते रहते हैं, कहीं बच्चों पर भी हमला न कर दें।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID - sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पूर्ण हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सीनियर एडवोकेट श्री तारामणी श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बॉर्ड के सदस्यों कृपे श्री.बी.वर्मा, श्रीमती फकरा श्रीवास्तव, श्रीमती रानी राकेश एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार इन सबकी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आरक्षण एवं सक्षम व्यक्तिओं के सम्मन साथ ही और से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य एवं लेक्चर देहस्तार, गरीब, परिवारका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

मुख्य स्था से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ शासकता एवं अन्यायविरुद्ध शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार-प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उन्में संघ के द्वारा आर्थिक निष्पक्षता की जायेगी। प्रत्येक ब्लॉक स्तर संघ में सदस्य बन सका है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्दिष्ट निम्न एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

प्रार्थित एवं पीड़ित व्यक्ति को सम्स्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल स्था से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक सम्स्या पर विधिन्याय एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

यदि विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता को व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से संपर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ प्रचारक संरक्षण एवं प्रचारक सम्बंधी वेतना हेतु भी जागरूकता देने का प्रयास करेगा।
- एक वकीलद्वारा प्रेषित के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आर्थिकसिद्धि के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचितों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक शक्ति के कर्मियों को इस संघ द्वारा संबोधित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सही शिक्षा जायेगा। न्याय प्रदाय हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आरक्षण एवं पीड़ितों को प्रदान करने के अन्तर्गत से पूर्णतया सक्षम बन करेगा। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आरक्षण व्यक्तियों से मुकामत कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सक्षम बन करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विचार से सम्बंधित विस्तृत कार्यक्रम किए जायेगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्गत, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं को सम्मिलित कर दिया जायेगा।
- संघ सामाजिक कृषिद्वारा को हर कदम के लिए करवायेगा व आर्थिक न के अन्तर्गत से मूल्य विस्तरे पर समान विद्युत्तियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करवायेगा।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

